# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1547/2024**

सुमन

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, जिला चूरू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ़, चूरू।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 26.03.2024
**आदेश की दिनांक** : 03.04.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक

**समक्ष :– अन्नत भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांखु, राजगढ़, चूरू में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.08.2022 (अनुलग्नक–2) उपकेन्द्र धांको का खेड़ा लूंदा, उदयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांखू, राजगढ़ चूरू में पूनम बाई एएनएम के विरूद्ध किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिशेष उम्मीदवारों के लिए आदेश दिनांक 20.06.2023 द्वारा कार्यमुक्ति के निर्देश जारी किए गए तथा आदेश दिनांक 22.06.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा अधिशेष कर्मचारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांखू, राजगढ़ चूरू से श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर कार्यमुक्त कर दिया गया जो कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए का उल्लंघन

है। अधिसूचना दिनांक 08.06.2016 के अनुसार अपीलार्थी को एपीओ किए जाने से पहले कोई विशिष्ट कारण देना होता है लेकिन अपीलार्थी के संबंध में ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.06.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा एपीओ के माध्यम से किया गया है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 22.06.2023 (अनुलग्नक–3) के विरूद्ध अधिकरण में अपील संख्या 1702/2023 दायर की जिसे अधिकरण ने आदेश दिनांक 12.07.2023 द्वारा उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया।(अनुलग्नक–4) अपीलार्थी ने दिनांक 17.07.2023 को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यगृहण कर लिया।(अनुलग्नक–5) अपीलार्थी ने दिनांक 06.02.2024 (अनुलग्नक–6) को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को सीएचसी सांखू, ब्लॉक राजगढ़, चूरू में पूनम बाई के स्थान पर रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को मार्च 2023 से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि कर्मचारी पूनम बाई जो कि पदोन्नत हो गई, का स्थानान्तरण सीएचसी सांखू जिला चूरू से उप जिला अस्पताल राजगढ़, चूरू में हो गया, इस प्रकार सीएचसी सांखू जिला चूरू में एक पद रिक्त होने के कारण अपीलार्थी को उसके स्थान पर पदस्थापित किया जावे तथा अपीलार्थी को वेतन उसके नियुक्ति स्थान सीएचसी सांखू, जिला चूरू से समस्त एरियर मय ब्याज दिलाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मय अभ्यावेदन प्राप्त होने पर आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर

नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अन्नत भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**